भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 23/02/२०२२

विषय :– राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.), 22–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–54 में **स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' अराजपत्रित पद** के लिये भर्ती नियमों में संशोधन के बारे में सार्वजनिक सूचना ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.14017/61/2008–स्थापना (आर. आर.) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.), **दिल्ली–110054** मे **स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' अराजपत्रित पद** के लिये भर्ती नियमों के संबंध में मसौदा संलग्न है ।

2 मसौदा भर्ती नियमों पर यदि कोई साझेदार किसी प्रकार की आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हों तो मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर श्री मनीष कुमार, अवर सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 752–ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को लिखित में दे सकते हैं या manish.kr01@gov.in, publichealth2@yahoo.com पर ई–मेल कर सकते हैं ।

मनीष 23/02/22

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष–011–23063068

(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशानार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23/2/2022

सा.का.नि....................................राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वा.एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंर्तगत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, (एन.सी.डी.सी.) दिल्ली में **स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' अराजपत्रित पद के** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम – राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, **स्टाफ कार ड्राईवर, (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' अराजपत्रित पद** भर्ती नियम–2021 .

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदो के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **अयोग्यता** – वह व्यक्ति–

क जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, हो सकता है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, एवं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

मनीष 23/02/22

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011-23063068

(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार ड्राईवर, (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' अराजपत्रित पद, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली	1.* 2021 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अलिपिक–वर्गीय	वेतन मैट्रिक्स (35400–112400 रूपए) में स्तर–6	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
पदोन्नति : स्टाफ कार ड्राईवर–ग्रेड1 के पद पर स्तर – 5 में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के अतिरिक्त निदेशक के पद पर अधिकारी ---- अध्यक्ष 2. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के संयुक्त निदेशक के पद पर अधिकारी ---- सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उप–निदेशक (प्रशासन) वर्ग के अधिकारी------सदस्य 4. सहायक निदेशक (प्रशासन)/प्रशानिक अधिकारी एन.सी.डी.सी. दिल्ली ------सदस्य	आवश्यक नहीं है ।

फाईल सं. ए–12015/23/2017–स्थापना (पार्ट–1)

मनीष 23/02/22

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

मनीष कुमार
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011